

व्यवहार न्यायालय, नवादा।

अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा के आवासीय परिसर, जजेज कॉलोनी एवं व्यवहार न्यायालय, नवादा परिसर में रद्द पड़े वाहनों की "जहां है जैसे है" के आधार पर खुली डाक द्वारा इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 16वें दिन (16 वॉ दिन छुट्टी होने की स्थिति में छुट्टी के अगले दिन) माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, नवादा की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय, नवादा के परिसर में नीलामी समिति के समक्ष नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत् है:-

क्रम सं०	वाहन सं०	इंजन संख्या	चेचिस संख्या	वाहन प्रकार	निर्माण/कय वर्ष	अनुमानित न्यूनतम मूल्य	सुरक्षित जमानत राशि
1.	BR27A-0071	3ELBA-066575	ACA-835851	अम्बेस्डर	2001	रु० 9,500.00	रु० 9,500.00
2	BR27-0655	6ENHJU-107570	AJU-723663	अम्बेस्डर	1995	रु० 8,500.00	रु० 8,500.00
3	BR1AD-9301	G3BIN-337412	MA3EBE 41504692 41	मारुती	2006	रु० 22,000.00	रु० 22,000.00
4	BR27-0654	6EHCV-108160	ACV-735166	अम्बेस्डर	1995	रु० 8,500.00	रु० 8,500.00
5	BHY-5780	6EH-053224	III-573304	अम्बेस्डर	1988	रु० 9,200.00	रु० 9,200.00
6	BR1AD-1815	3ELFF-103757	AGE-904578	अम्बेस्डर	2006	रु० 9,200.00	रु० 9,200.00
7	BR1F-7341	6EHMT-106078	ADU-713944	अम्बेस्डर	1995	रु० 8,800.00	रु० 8,800.00
8	BR1F-3850	6EHAV-106159	ACU-710891	अम्बेस्डर	1995	रु० 9,200.00	रु० 9,200.00

नीलामी की शर्त:-

- व्यवहार न्यायालय, नवादा परिसर में उक्त वाहनों की नीलामी "जहां है जैसे है" के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष खुली डाक द्वारा उच्चतम डाक वक्ता के पक्ष में की जाएगी।

2. डाक बोलने के पूर्व इच्छुक डाक वक्ता को प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग सुरक्षित राशि जमानत राशि के रूप में समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर 04:30 बजे अपराह्न तक व्यवहार न्यायालय, नवादा के लेखा शाखा में जमा करना होगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर डाक में भाग लेने वाले डाक वक्ता की जमानत राशि नीलामी प्रक्रिया के उपरांत व्यवहार न्यायालय, नवादा के लेखा शाखा से वापस कर दिया जाएगा।
4. उच्चतम डाक वक्ता को डाक समाप्ति के उपरांत उसी दिन आकलित राशि एक मुश्त नकद जमा करना होगा।
5. उच्चतम डाक की बोली बोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. उच्चतम राशि वक्ता को 5 (पांच) दिनों के अंदर नीलामी किये गये सामान को यथा स्थान से ले जाना होगा।
7. समिति के सदस्यों को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. विस्तृत जानकारी के लिए नाजीर, व्यवहार न्यायालय, नवादा से सम्पर्क कर सकते हैं।
9. इच्छुक डाककर्ता नीलामी के लिए चिन्हित वाहनों का अवलोकन न्यायालय के कार्य दिवसों में न्यायालय अवधि के दौरान नाजिर, व्यवहार न्यायालय, नवादा से संपर्क कर सकते हैं।
10. डाक से संबंधित तिथि तथा समय की सूचना व्यवहार न्यायालय, नवादा की आधिकारिक वेब साईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

Upendra Kumar / 17.9.26
(उपेन्द्र कुमार)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय—

सह-अध्यक्ष नीलामी समिति,

व्यवहार न्यायालय, नवादा।